भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1277
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगारी के स्तर का आकलन

1277. श्री थोमस चाज़िकाडनः
श्री वी॰के॰ श्रीकंदनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2020 तक देश में बेरोजगारी का वर्ष-वार स्तर क्या रहा;
(ख) क्या सरकार ने एक अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के दौरान देश में बेरोजगारी स्तर का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी माह-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) कोविड-19 महामारी के कारण आई मंदी से निपटने के लिए रोजगार के और अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या यह सच है कि अगस्त, 2020 में बेरोजगारी की दर बढ़ गई थी क्योंकि ग्रामीण रोजगार में कमी आई थी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या यह भी सच है कि देश में 12 करोड़ से अधिक रोजगार समाप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएओ वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 से आरंभ किया गया है। सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

सर्वेक्षण*	बेरोजगारी दर
2018-19 (पीएलएफएस)	5.8%
2017-18 (पीएलएफएस)	6.1%
2011-12 (श्रम ब्यूरो) (एनएसएस 68 वां दौर)	2.2%

(टिप्पणीः * तुलनात्मकता के लिए, एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व के दौर के पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है जिसके साथ सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन डिजाइन किया गया है)

(ग एवं ङ): कोरोना वायरस (कोविड-19) और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर में अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। देश कोविड-19 के खतरों एवं चुनौतियों का सामना करने हेतु बेहतर तरीके से तैयार है, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है।

भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जो अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुगम बनाता है। युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं मांग पर आधारित है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत विशेषकर लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, कोविड-19 के कारण बीमित कामगार जो रोजगार खो चुके हैं, को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****